

राजस्थान सरकार
खान एवं पेट्रोलियम विभाग

क्रमांक: प.7(1)खान/ग्रुप-1/2024

जयपुर, दिनांक:

आदेश

श्री आनन्द सिंह, सर्वेयर, कार्यालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, नागौर को राजकार्य के प्रति घोर लापरवाही, अनियमितता बरतने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

निलम्बन काल में श्री आनन्द सिंह, सर्वेयर का मुख्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, भरतपुर रहेगा एवं इन्हे नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

आज्ञा से

(नीतू बारूपाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, अजमेर।
7. श्री आनन्द सिंह, सर्वेयर।
8. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
5379978



Signature valid

संयुक्त शासन सचिव
Digitally signed by Neetu Barupal
Designation: Joint Secretary To
Government
Date: 2024.01.22 13:58:16 IST
Reason: Approved